



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
8 अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2020/ 5975
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/09/2020

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधिकारी
3. समस्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी-1

विषय: विकास खण्ड स्तर की स्वास्थ्य संस्थाओं में हाई रिस्क क्लिनिक के आयोजन के लिये स्त्री रोग विशेषज्ञ/पीजीएमओ को मोबिलिटी प्रदाय करने के संबंध में
संदर्भ: कार्यालय का पत्र क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2020/ 3413-3414 दिनांक 20.6.2020

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रत्येक शुक्रवार को जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल तथा समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर हाई रिस्क क्लिनिक का आयोजन किया जाना है।

विकास खण्ड स्तर की संस्थाओं पर जहां स्त्री रोग विशेषज्ञ/पीजीएमओ पदस्थ नहीं है वहां जिला अस्पताल या समीपस्थ विकास खण्ड पर पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ /पीजीएमओ को हाई रिस्क क्लिनिक के आयोजन हेतु मोबिलाईज किया जाना है।

जिला अस्पताल में पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ /पीजीएमओ को विकास खण्ड की संस्था पर हाई रिस्क क्लिनिक के आयोजन हेतु मोबिलिटी स्पॉर्ट की राशि सिविल सर्जन सह अस्पताल अधिक्षक को ई - वित्त के माध्यम से गतिविधि क्रमांक 1.1.1.6 (A.1.6.6.a) में राशि आवंटित की गई है तथा विकास खण्ड की स्त्री रोग विशेषज्ञ की मोबिलिटी हेतु राशि विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी को गतिविधि क्रमांक 1.1.1.1 (A.1.5.4.2.c) में राशि आवंटित की गई है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि जिलों द्वारा तैयार किये माइकोप्लान अनुसार स्त्री रोग विशेषज्ञों /पीजीएमओ हेतु वाहन व्यवस्था एन.एच.एम. के नियमानुसार उपलब्ध करायी जाये।

(डॉ. सलोनी सिडाना)
अपर मिशन संचालक
एनएचएम मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2020/ 5976

भोपाल, दिनांक 16/09/2020

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. समस्त जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी मध्यप्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिला कम्युनिटी मोबिलाईजर, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिला लेखा अधिकारी, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।

अपर मिशन संचालक,
एन.एच.एम. मध्यप्रदेश